भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार
(Real Estate Regulatory Authority, Bihar)

चौथा/छठा तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, मुख्यालय भवन परिसर,
शास्त्री नगर, पटना –800023

स:- 107 पटना ,दिनांक : 25-07-2023

आम सूचना

विषय: -प्राधिकरण में निबंधित परियोजनाओं में किसी भी भूखंड, अपार्टमेंट या भवन की बिक्री या खरीद की सुविधा के लिए रियल एस्टेट एजेंटों के संबंध में।

प्राधिकरण को कतिपय श्रोतों से ये जानकारी मिली है कि कुछ निबंधित रियल एस्टेट एजेंट उन रियल एस्टेट परियोजनाओं में भूखंडों/फ्लैटों की बिक्री और खरीद की सुविधा दे रहे हैं जो प्राधिकरण के साथ निबंधित नहीं हैं। यह भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा10 (a) का उल्लंघन है. इस धारा के अनुसार - कोई भी ऐसी परियोजना जो किसी आयोजना क्षेत्र में अवस्थित हो तथा जिनका निबंधन प्राधिकरण में नहीं कराया गया है तो प्राधिकरण के साथ निबंधित प्रत्येक रियल एस्टेट एजेंटऐ से किस भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का प्लॉट, अपार्टमेंट या भवन की बिक्री या खरीद की सुविधा नहीं देगा।

अधिनियम की धारा9 (1) में कहा गया है: अगर ऐसा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो प्राधिकरण के साथ निबंधित नहीं हो तथा किसी भी आयोजना क्षेत्र में प्रमोटर द्वारा बेचा जा रहा है तो कोई भी रियल एस्टेट एजेंट किसी भी भूखंड, अपार्टमेंट या भवन की बिक्री या खरीद की सुविधा के लिए किसी भी व्यक्ति की ओर से बिक्री या खरीद की सुविधा नहीं देगा।

प्राधिकरण उन सभी रियल एस्टेट एजेंटों को, जो किसी निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या किसी आयोजना क्षेत्र में प्रमोटर द्वारा बेचे जा रहे किसी प्लॉट, अपार्टमेंट या भवन की बिक्री या खरीद की सुविधा दे रहे हैं, निर्देश देता है कि वे स्वयं को प्राधिकरण के साथ निबंधित कराएं।

उपर्युक्त धाराओं [धारा9औरधारा10] का उल्लंघन करने पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 62 के अनुसार दंडात्मक कारवाई की जाएगी।

भावी ग्राहको को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे उन परियोजनाओं में संपत्ति की बुकिंग या खरीद न करें जो प्राधिकरण के साथ निबंधित नहीं हैं।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सचिव 25/07/23
रेरा, बिहार